राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–502/2016

गोविन्द नारायण राव —अपीलार्थी

बनाम

1. विशिष्ट सचिव, वित्त, राजस्व एवं कोष (ग्रेड–I), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, लेखा एवं कोष, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. उक्त अपील अपीलार्थी द्वारा उससे कनिष्ठ कर्मचारियों के रामकक्ष वेतन नियतन (स्टेपिंग ऑफ पे) हेतु इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा, 1988 में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप कोष एवं लेखा विभाग के आदेश दिनांक 21.08.1991 के द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्त हुआ एवं 28.09.1991 को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यभार ग्रहण किया एवं उसे वरिष्ठता क्र.सं. 2983 पर दी गई। अपीलार्थी के अनुसार उससे कनिष्ठ कर्मचारी श्री बाबु लाल बुनकर हनुमान सहाय चन्देल, गणपत लाल खोलिया एवं सूवा लाल मीणा की नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा 1989 (केवल अनु जाति एवं अनु जन जाति हेतु) में उत्तीर्ण घोषित होने पर आदेश दिनांक 07.01.1991 द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर हुई जहाँ उन्होंने फरवरी 1991 में क. लेखाकार के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इस प्रकार अपीलार्थी से कनिष्ठ, कनिष्ठ लेखाकार जो कि वर्ष 1989 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तीर्ण घोषित हुए थे, को अपीलार्थी से पूर्व नियुक्ति आदेश जारी होने के फलस्वरूप उन्होंने अपीलार्थी से पूर्व फरवरी 1991 में ही कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अपीलार्थी उपरोक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होते हुए भी एक वेतन वृद्धि प्रारम्भ से ही कम प्राप्त कर रहा है। अपीलार्थी के अनुसार राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 32 के अनुसार किसी भी अवस्था में वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन उससे कनिष्ठ कर्मचारी से कम नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी को नियुक्ति

आदेश देरी से जारी होने के कारण अपीलार्थी ने बाद में कार्यभार ग्रहण किया जिसके लिये उसे दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का विरोध करते हुए अंकित किए गया है कि अपीलार्थी द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर दिनांक 28–9–1991 को ही कार्यग्रहण कर लिया गया था। तदुपरान्त समय–समय पर वार्षिक वेतन वृद्धियां अपीलार्थी को एवं अपीलार्थी से कनिष्ठ को मिलती रही है। अपीलार्थी की अपील समय बाधित होने के कारण से खारिज किये जाने योग्य है और यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या – 703/2002 लावण्य कुमार, अपील संख्या 704/2002 सुधीर कुमार 705/2002 राजेन्द्र पारीक एवं 706/2002 प्रेमचन्द शर्मा बनाम राज्य सरकार जरिये विशिष्ठ शासन सचिव (वित्त) राजस्व एवं लेखा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान जयपुर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 1–10–2009 का Judgment in persona न कि Judgment in Rem है। जिसके आधार पर अपीलार्थी कोई लाभ पाने का अधिकारी नही है। लेखाकर्मियों की सीधी भर्ती होने पर उनकी वरिष्ठता उनके बैच संख्या (भर्ती का वर्ष) के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस कारण अपीलार्थी (बेच–1988) को अन्य कर्मियों (बेच–1989) से वरिष्ठ माना जाकर विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में (अधिसूचना क्रमांक–29828–34028 दिनांक 8–9–2000) वरिष्ठ स्थान नियमानुसार निर्धारित किया गया। इस प्रकार लेखाकर्मियों का वेतन निर्धारण उनके राज्य सेवा में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दिया जाता है। अपीलार्थी जो कि 1988 बेच के कार्मिक है लेकिन अपीलार्थी ने दिनांक 28–9–1991 को (बैच–1989 के बाद) कार्यग्रहण किया। परिणाम स्वरूप नियमानुसार दिनांक 28–9–1991 से ही देय वेतन का भुगतान अपीलार्थी को किया जा रहा है। इसके विपरीत अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक जो 1989 बैच के है, ने माह फरवरी–1991 अर्थात् अपीलार्थी से 7 माह पूर्व कार्यग्रहण किया है। इन्हे भी नियमानुसार फरवरी–1991 से वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

5. जहाँ एक वरिष्ठता का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग ने स्वयं अपीलार्थी को वर्ष 1989 में चयनित कनिष्ठ लेखाकारों से अपीलार्थी को वरिष्ठ माना है, लेकिन वर्ष 1989 में चयनित कनिष्ठ लेखाकारों के बाद कार्यभार ग्रहण करने के कारण अपीलार्थी को उससे जूनियर कनिष्ट लेखाकारों से कम वेतन मिल रहा है। राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 32 के अन्तर्गत भी वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन उससे कनिष्ठ कर्मचारी के समकक्ष किए जाने का प्रावधान है। इस

सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटीसन नं. 162 / 1983 तारा चन्द जैन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य आर.एल. आर. 1999 (2) 587 में दिनांक 23.09.1999 में दिये गये निर्णय में भी यह मत व्यक्त किया है कि अगर वरिष्ठ व्यक्तियों 1999 को कनिष्ठ व्यक्तियों से कम वेतन प्राप्त होता है तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लघन है तथा वेतन विसंगति का मामला बनता है तथा वरिष्ठ व्यक्तियों को कनिष्ठ व्यक्तियों के समकक्ष वेतन भत्तों का लाभ दिया जाना चाहिए।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारे मत में अपीलार्थी को उससे जूनियर, कनिष्ठ लेखाकारों (कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा, 1989 में चयनित) के समकक्ष वेतन नियतन नहीं किये जाने का कोई कारण नही है।

7. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर निर्देश दिए जाते है कि वे अपीलार्थी को उससे जूनियर, कनिष्ठ लेखाकारों के समकक्ष वेतन नियतन करने के आदेश जारी करे। वेतन नियतन के फलस्वरूप कोई ऐरियर देय नहीं होगा। इस आदेश की पालना तीन माह की अवधि में की जाये।

8. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)